FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुराणा तहसील व जिला नागौर	**बनाम**	तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र **संख्या** 01/2020 सन् 2019-2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
06.01.2020	वकील प्रार्थी ने धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, ~~मूण्डवा~~ नागौर (भू. अभि.) द्वारा मुकदमा संख्या **141/2019 सरकार बनाम रामेश्वरलाल,** अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय **दिनांक 20.12.2019** के विरूद्व यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 में पारित आदेश में प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनाये गये 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के आदेश की कियान्विति आगामी पेशी दिनांक 27.01.2020 तक स्थगित की जाती है। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर,नागौर	
27/1/20	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल पुनः लौटकर प्राप्त हुआ है, जो शा०मि० हो। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आये। उप०। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 10/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) कलक्टर, नागौर	
10/2/2020	वकुलाय उप०। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 17/2/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) कलक्टर, नागौर	
17-2-20	वकुलाय उपस्थित। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested